पशुधन संरक्षण

वर्ष : 1 ● अंक 8 ● नवम्बर-2021

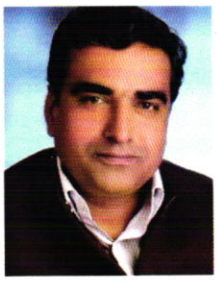

43 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में किया क्रमोन्नत 30 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों हेतु स्वीकृति जारी

राज्य सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्साविहीन ग्राम पंचायतों में 30 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने और 43 पशु चिकित्सा उप केंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की है। पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए सतत प्रयासरत है। इसी के तहत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में विभिन्न जिलों में 30 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने और 43 पशु चिकित्सा उप केंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि नए केंद्र खुलने से पशुपालकों को अपने नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं एवं विभागीय योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सकेगा। विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने जिलावार जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर जिले में 6, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं नागौर में 3-3, जैसलमेर, चुरू, भरतपुर एवं चित्तौड़गढ़ में 2.2, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर में एक-एक नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र मंजूर किया गया है। इसी प्रकार जयपुर जिले में 12, नागौर में 5 , हनुमानगढ़ में 4, चुरू में 3, अजमेर- बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर में 2-2 तथा बूंदी, जालोर, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं दौसा, पाली, टोंक एवं सीकर जिले में एक-एक उप केंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया।

पशुपालन विभाग के 120 अधिकारियों की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक सम्पन्न

पशुपालन विभाग के विभिन्न अधिकारी पद के संवर्गों की वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विभाग के सामान्य एवं विशिष्ट शाखा के उप निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक स्तर के संवर्गों में 120 अधिकारियों की पदोन्नति पर निर्णय लिया गया।

विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषी मलिक ने बताया कि विभाग में उप निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक स्तर के पदों की पदोन्नति लंबित होने के कारण लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। पदोन्नति के उपरांत विभागीय अधिकारियों के महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

विभिन्न संवर्ग के 93 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी

पशुपालन मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की पदोन्नति के लिए गत 25 अक्टूबर को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में अधिकारियों की पदोन्नति पर निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विभाग के सामान्य एवं विशिष्ट शाखा के 40 उप निदेशक तथा 53 संयुक्त निदेशक संवर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने बताया कि यह पदोन्नति होने से काफी समय से रिक्त चल रहे विभागीय अधिकारियों के महत्वपूर्ण पदों को भरा जा सकेगा जिससे विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं को गति मिलेगी और पशुपालकों को ज्यादा बेहतर ढंग से लाभान्वित किया जा सकेगा।

300 पशु चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी

राज्य के 16 जिले जहां पशु चिकित्साधिकारियों के अधिकतर पद रिक्त चल रहे थे, ऐसे रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थाई आधार पर 300 पशु चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं।

यह जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने अवगत कराया कि विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में आवश्यक अस्थाई आधार पर 300 पशु चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति प्रदान कर रिक्त पदों को तत्काल भरा गया है।

पशुपालन विभाग की शासन सचिव डा. आरुषी मलिक ने बताया कि वर्तमान में जिला चित्तौडगढ में 17, बाडमेर में 25, उदयपुर में 31, पाली में 29, नागौर में 13, झालावाड में 12, भीलवाडा में 26, जैसलमेर में 12, डूंगरपुर में 23, राजसमन्द में 20, प्रतापगढ में 11, सिरोही में 10, अजमेर में 17, जोधपुर में 19, धौलपुर में 6, तथा बांसवाडा जिले में 29 पशु चिकित्साधिकारियों को आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। नव नियुक्त पशु चिकित्साधिकारियों को कार्यग्रहण के लिए 15 दिवस का समय प्रदान किया गया है।